भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3229

जिसका उत्तर 09 दिसम्बर, 2019/18 अग्रहायण, 1941 (शक) को दिया गया

मुद्रा योजना

3229. श्री कार्ती पी॰ चिदम्बरमः डॉ॰ जी॰ रणजीत रेड्डीः
सुश्री एस॰ जोतिमणिः डॉ॰ मनोज राजोरियाः
श्री विनसेंट एच॰ पालाः श्री अशोक कुमार रावतः
श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिलः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देशभर में मुद्रा योजना की शुरुआत से लेकर अब तक इसके माध्यम से कितना रोजगार सृजित हुआ है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार ने देश में उक्त योजना के अंतर्गत ऋणों के संवितरण के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने उक्त लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं होने पर बैंकों के लिए कोई बाध्यकारी प्रावधान निर्धारित किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त ऋणों के वितरण में लापरवाही करने वाले बैंकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार को देश में उक्त योजना के अंतर्गत ऋणों की अनियमितताओं या मनाही के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) क्या सरकार का कागज़ी कार्रवाई को कम करके मुद्रा ऋणों के वितरण को बाध रहित बनाने के लिए अपने व्यापक प्रचार-प्रसार पर जोर देने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी शुरुआत से लेकर अब तक देश में उक्त योजना के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों में तमिलनाडु और तेलंगाना सहित वर्ष-वार, श्रेणी-वार और राज्य-वार कितने लोगों को लाभ मिला है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क): दिनांक 25.10.2019 की स्थिति के अनुसार, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएसबीवाई) के अंतर्गत 20.65 करोड़ से अधिक ऋण दिए गए हैं। यद्यपि पीएमएमवाई योजना के अंतर्गत सृजित नौकरी के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं, तथापि श्रम तथा रोजगार मंत्रालय (एमओएलई) द्वारा किया ऋण प्रतिदर्श सर्वेक्षण यह आकलन करता है कि लगभग तीन वर्ष की अवधि (अर्थात् 2015 से 2018) के दौरान पीएमएमवाई की सहायता से 1.12 करोड़ निवल अतिरिक्त रोजगार का सृजन हुआ।

(ख) और (ग): सदस्य दात्री संस्थाओं (एमएलआई), अर्थात् - अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी), गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) तथा सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एमएफआई) को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के अंतर्गत मंजूर की जाने वाली राशि के संबंध में सरकार द्वारा वार्षिक लक्ष्य आवंटित किए जाते हैं। चालू वित्तीय वर्ष के लिए एमएलआई हेतु 3.25 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पीएमएमवाई योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर के लक्ष्यों को योजना के आरंभ से अब तक प्राप्त किया गया है।

बेहतर पहुंच तथा सेवा उत्कृष्टता (ईएएसई) ढांचे के भाग के रूप में सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक बैंक के कार्यनिष्पादन का 100 से अधिक मैट्रिक्स के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, मुद्रा ऋणों का कार्यनिष्पादन भी शामिल है। पूर्णकालिक निदेशकों (डब्ल्यूटीडी) तथा डब्ल्यूटीडी से दो स्तर नीचे के अधिकारियों के वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन हेतु ईएएसई संबंधित सुधार सूचकांक में कार्यनिष्पादन को भारिता दी जाती है। पीएमएमवाई के संबंध में पीएसबी के कार्यनिष्पादन की निगरानी भी आवधिक रूप से की जाती है।

(घ): ऋण आवेदन को इनकार करने, प्रतिवर्तन काल (टीएटी) में विलंब तथा कतिपय अवसरों पर ऋणदाताओं द्वारा संपार्श्विक/गारंटीदाता की मांग करने सहित पीएमएमवाई को लागू किए जाने के संबंध में प्राप्त किन्हीं अन्य शिकायतों का संबंधित बैंकों के साथ समन्वय कर निवारण किया जाता है।

(ड.): सरकार ने पीएमएमवाई ऋणों के संवितरण को झंझट रहित बताने तथा कागजी कार्रवाई को न्यूनतम करने हेतु कई कदम उठाए हैं, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं:

- Psbloansin59minutes तथा udyamimitra पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन का प्रावधान।
- उधारदाताओं तथा उधारकर्त्ताओं के लिए योजना की बेहतर दृश्यता हेतु सघन प्रचार अभियान।
- आवेदन फॉर्म का सरलीकरण।
- पीएसबी में मुद्रा नोडल अधिकारी का नामांकन।
- पीएसबी को पीएमएमवाई उधारकर्त्ताओं के साथ निरन्तर तथा सघन संबंध संपर्क बनाने की सलाह दी गयी है।

वर्ष-वार मंजूर की गई ऋणों की संख्या संबंधी राज्य-वार तथा श्रेणी-वार विवरण क्रमशः अनुबंध-1 तथा अनुबंध-2 में है।

*****

अनुबंध-1

योजना के आंरभ से अब तक पीएमएमवाई के अंतर्गत स्वीकृत ऋणों की संख्या का राज्य-संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

[राशि करोड़ रुपए में]

		वि.व. 2015-16	वि.व. 2016-17	वि.व. 2017-18	वि.व. 2018-19	वि.व. 2019-20 (25.10.2019 की स्थिति के अनुसार)	कुल
क्र. सं.	राज्य का नाम	खातों की सं. जिनके लिए ऋण स्वीकृत किया गया	खातों की सं. जिनके लिए ऋण स्वीकृत किया गया	खातों की सं. जिनके लिए ऋण स्वीकृत किया गया	खातों की सं. जिनके लिए ऋण स्वीकृत किया गया	खातों की सं. जिनके लिए ऋण स्वीकृत किया गया	खातों की सं. जिनके लिए ऋण स्वीकृत किया गया
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	24719	3353	3829	3722	738	36361
2	आंध्र प्रदेश	795688	587569	801845	782707	346280	3314089
3	अरुणाचल प्रदेश	4625	6109	11004	14455	1605	37798
4	असम	427272	1255754	1713004	2422968	618362	6437360
5	बिहार	2451439	3756716	4314861	5999640	2375186	18897842
6	चंडीगढ़	22605	19039	18257	30015	13977	103893
7	छत्तीसगढ़	639711	884941	962079	1201572	396768	4085071
8	दादरा और नगर हवेली	1236	2587	3408	2900	504	10635
9	दमन और दीव	1109	774	1086	681	403	4053
10	दिल्ली	394388	224975	241797	737717	372186	1971063
11	गोवा	45471	31289	39397	44781	16244	177182
12	गुजरात	1086407	1103453	1501226	1826207	761409	6278702
13	हरियाणा	745535	716622	786328	1081972	554503	3884960
14	हिमाचल प्रदेश	85564	82851	91992	119595	50219	430221
15	जम्मू और कश्मीर	57974	89712	103125	133078	81212	465101
16	झारखंड	872868	1023593	1212671	1436968	674293	5220393
17	कर्नाटक	4459609	3933578	4568493	5806936	2285241	21053857
18	केरल	830411	982260	2289805	2121319	890697	7114492
19	लक्षद्वीप	740	473	1044	626	419	3302
20	मध्य प्रदेश	2511191	2683052	2899123	3282723	1376703	12752792
21	महाराष्ट्र	3535065	3344154	3596620	4385981	1944806	16806626
22	मणिपुर	24021	21865	33186	86139	8570	173781
23	मेघालय	19151	23915	28846	35574	15342	122828
24	मिजोरम	7772	6973	12400	15858	2849	45852
25	नागालैंड	5134	11051	14141	17448	1788	49562
26	ओडिशा	2343261	2606769	3470312	4164432	1474291	14059065
27	पांडिचेरी	82866	130360	150477	177772	75338	616813
28	पंजाब	653973	705569	819836	1182936	657739	4020053
29	राजस्थान	1159819	1204837	1746748	2727579	1245804	8084787
30	सिक्किम	6889	19865	21588	26688	5322	80352
31	तमिलनाडु	4781567	5309857	5860165	7440662	2791521	26183772
32	तेलंगाना	400761	482694	789315	982204	528373	3183347
33	त्रिपुरा	68146	253807	399299	441114	148364	1310730
34	उत्तर प्रदेश	3345382	3337547	4401217	4975961	1974608	18034715
35	उत्तराखंड	360007	286579	254783	303340	135835	1340544
36	पश्चिम बंगाल	2628548	4566505	4967286	5856048	2176340	20194727
	कुल	**34880924**	**39701047**	**48130593**	**59870318**	**24003839**	**206586721**

स्रोतः मुद्रा पोर्टल पर एमएलआई द्वारा सूचित आंकड़ों के अनुसार

अनुबंध-2

योजना के आंरभ से अब तक पीएमएमवाई के अंतर्गत स्वीकृत ऋणों की संख्या का श्रेणी-वार वर्गीकरण

[राशि करोड़ रुपए में]

	वि.व. 2015-16	वि.व. 2016-17	वि.व. 2017-18	वि.व. 2018-19	वि.व. 2019-20 (25.10.2019 की स्थिति के अनुसार)	कुल
श्रेणी	**खातों की सं. जिनके लिए ऋण स्वीकृत किया गया**	**खातों की सं. जिनके लिए ऋण स्वीकृत किया गया**	**खातों की सं. जिनके लिए ऋण स्वीकृत किया गया**	**खातों की सं. जिनके लिए ऋण स्वीकृत किया गया**	**खातों की सं. जिनके लिए ऋण स्वीकृत किया गया**	**खातों की सं. जिनके लिए ऋण स्वीकृत किया गया**
शिशु	32401046	36497813	42669795	51507438	20865575	183941667
किशोर	2069461	2663502	4653874	6606009	2506805	18499651
तरुण	410417	539732	806924	1756871	631459	4145403
कुल	**34880924**	**39701047**	**48130593**	**59870318**	**24003839**	**206586721**

स्रोतः मुद्रा पोर्टल पर एमएलआई द्वारा सूचित आंकड़ों के अनुसार